


# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. / 148 /2020 दिनांक : 13.10.2020

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. /139/2020 दिनांक 01.10.2020 के द्वारा श्रीमती रैना शर्मा (RJ0502), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-07, जोधपुर महानगर को दिनांक 05.10.2020 से 09.10.2020 तक 05 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृत किया गया था, जिसे निरस्त किया जाता है ।


आज्ञा से  
  
13/10/2020  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/58/2005/ 4660

दिनांक : 13.10.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर को उनके पत्रांक 4800 दिनांक 30.09.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती रैना शर्मा (RJ0502), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-07, जोधपुर महानगर ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-07, जोधपुर महानगर ।
5. डॉ. मनीषा चौधरी (RJ0450), अति. सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीडन प्रकरण), जोधपुर महानगर ।
6. अति. सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीडन प्रकरण), जोधपुर महानगर ।
7. संबंधित कोषालय ।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।

  
सहायक रजिस्ट्रार